प्रेषक,

प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

प्रेष्य,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
वन एवं ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित
उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक /16/ग्रा0वि0का0/2010 दिनांक–३१ मार्च ,2011

विषयः– **वन एवं ग्राम्य विकास विभागों के कार्या से सम्बन्धित मासिक प्रगति प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक, शासन के पत्र संख्या 768/ग्रा0वि0का0/एम0पी0आर/02 दिनांक 03.12.2002 एवं सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 445/ग्रा0वि0का0–मा0प्र0/2007–08 दिनांक 01.06.2009 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें ग्राम्य विकास कार्यक्रमों से सम्बन्धित वार्षिक लक्ष्य व उनके सापेक्ष मासिक भौतिक प्रगति प्रतिवेदनों को विकासखण्डवार संकलित कर विभिन्न स्तरों से तैयार किये जाने एवं सम्प्रेषण के सम्बन्ध में निर्देश भेजे गये है। पूर्व में उपयोग किये जा रहे प्रतिवेदन में अंकित कतिपय योजनाए/कार्यक्रम वर्तमान में कार्यान्वित न किये जाने के कारण अनुपयोगी व समाप्त हो गई है अथवा कोई नवीन योजनाएं/कार्यक्रम जो वर्तमान में संचालित है, के अनुसार संशोधित किया जाय जिनका अनुश्रवण और स्थलीय ~~मासिक~~ त्रैमासिक व मूल्यांकन भी किया जा सके। परन्तु मेरे संज्ञान में आया है कि विभागों द्वारा संकलित किये जा रहे योजनाओं /कार्यक्रमों की संशोधित प्रारूप की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई है और विभिन्न स्तरों पर इसकी समीक्षा भी नहीं की जा रही है। पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश से चली आ रही पुराने प्रारूप में जो प्रगति सूचना प्रेषित की जा रही है उनमें कतिपय विभागों की योजनाओं/कार्यक्रमों के वार्षिक लक्ष्य विकासखण्डवार/जनपदवार व विभागवार नहीं दिये जा रहे है और बिना लक्ष्य के उपलब्धि दर्शायी जा रही है या निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कोई उपलब्धि नहीं दी जा रही है। लक्ष्य के सन्दर्भ में सम्बन्धित विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी योजनाओं/कार्यक्रमों के लक्ष्य वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ही वित्तीय संसाधनों के अनुरूप निर्धारित कर लें।

उक्त के सम्बन्ध में यह भी अवगत कराना है कि विकासखण्ड अथवा तहसील स्तर पर तैनात विभागीय कर्मचारी द्वारा मासिक प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप में खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी तथा जिन विभागों के कर्मचारी विकासखण्ड/तहसील

क्रमशः .....

स्तर पर तैनात नहीं है उन विभागों के द्वारा जिला स्तर से विकास खण्डवार प्रगति सूचना की फॉट कर प्रत्येक माह नियमित खण्ड विकास अधिकारी को उपलब्ध कराई जायेगी। विकासखण्ड स्तर पर स0वि0अ0(सां0) द्वारा प्रगति का संकलन सहायक विकास अधिकारीवार पंजिका में किया जायेगा। तदोपरान्त विकासखण्ड स्तर पर संकलित रिपोर्ट जनपद स्तर पर अर्थ एवं संख्याधिकारी के परीक्षणोपरान्त मुख्य विकास अधिकारी से अवलोकन कराने के उपरान्त मासिक प्रगति प्रतिवेदन के प्रेषण से सम्बन्धित समय सारणी के अनुसार प्रेषित किये जायेंगे।

समय–सारणी

1.	ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों/विभाग के सम्बन्धित फील्ड कार्मिकों द्वारा खण्ड विकास अधिकारी को मासिक प्रगति रिपोर्ट उपलब्ध कराना।	सम्बन्धित मास का अन्तिम कार्य दिवस।
2.	खण्ड विकास अधिकारी द्वारा जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 5वीं तिथि तक।
3.	मुख्य विकास अधिकारी द्वारा जनपद का मासिक प्रगति प्रतिवेदन जिला सूचना विज्ञान केन्द्र की ऑनलाईन मॉडयूल के माध्यम से मण्डलायुक्त तथा निदेशक अर्थ एवं संख्या को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 10वीं तिथि तक।
4.	निदेशक अर्थ एवं संख्या द्वारा राज्य स्तरीय प्रतिवेदन प्रमुख सचिव, आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव नियोजन तथा विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों को उपलब्ध कराना।	अगले मास की 22वीं तिथि तक।
5.	विकास विभागों से सम्बन्धित प्रमुख सचिवों/सचिवों द्वारा प्रमुख सचिव, आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास को आख्या प्रेषित करना।	अगले मास की अन्तिम तिथि तक।

उपरोक्त समय–सारणी के अनुसार निर्धारित तिथि को मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित किया जायेगा। राज्य स्तर पर सम्बन्धित विभागों के विभागाध्यक्ष भी प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि तक अर्थ एवं संख्या निदेशालय को प्रेषित करेंगे साथ ही विकासखण्ड, जिला तथा मण्डल स्तर पर प्रभावी ढंग से समीक्षा सुनिश्चित की जानी भी आवश्यक होगी। विभागों द्वारा भी यह सुनिश्चित की जायेगी कि जो सूचना ग्राम स्तर से प्राप्त हुई है उसमें किसी प्रकार की भिन्नता न हो यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। प्रत्येक वर्ष अर्थ एवं संख्या विभाग कार्यो के प्रगति रिपोर्ट प्रकाशित कर विभागों को भी उपलब्ध करायेंगे।

कमशः .....

अतएव पुनः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अनुसार अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(राजीव गुप्ता)
प्रमुख सचिव

पत्रांक 2751/16/ग्रा0वि0का0/2010 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः— निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त विभागाध्यक्ष, वन एवं ग्राम्य विकास विभाग से सम्बन्धित।
2. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. निदेशक, राज्य सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य एनेक्स, सचिवालय परिसर, देहरादून।
4. मण्डलायुक्त,गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या, गढ़वाल/कुमॉयू मण्डल।
8. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

प्रमुख सचिव